



दिनांक 28.11.2024

प्रेस विज्ञप्ति 40/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 27/28.11.2024 की रात्रि थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लल्ला बाबू चौराहा पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अजय उर्फ अज्जू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहा है। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-अजय उर्फ अज्जू निवासी मो0 रामबाड़ा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1-01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)।

2-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात

- पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त

गिरफ्तार

- 01 मोटर साइकिल

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 27.11.2024 को थाना कोतवाली देहात व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हजरतपुल वाले बम्बे पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त शहनवाज उर्फ पतला घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-शहनवाज उर्फ पतला निवासी शहीद नगर साहिबाबाद, गाजियाबाद।

बरामदगी

1-01 मोटर साइकिल।

2-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गोमतीनगर

• 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 28.11.2024 को थाना गोमतीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कमता चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विजय नारायण को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गोमतीनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विजय नारायण निवासी विरामखण्ड गोमतीनगर कमिश्नरेट लखनऊ, मूलपता दौलताबाद बौना थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

जनपद सीतापुर/थाना महमूदाबाद

• 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 28.11.2024 को थाना महमूदाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिलौली बाजार के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रंजीत को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना महमूदाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद बाराबंकी, सीतापुर के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना महमूदाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रंजीत निवासी ग्राम नरेन्द्रपुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर।

जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई

- 06 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट/चोरी के 01 लाख 39 हजार 700 रुपये नगद
 - लूट/चोरी के सोने-चाँदी के आभूषण
- 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस
- घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 27.11.2024 को थाना डिबाई व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हीरापुर जाने वाले रास्ते पर पौधशाला के पास से 06 अभियुक्तों 1-सुरेन्द्र 2-सौदान 3-मोहित 4-सनी 5-नीरज 6-अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के 01 लाख 39 हजार 700 रुपये नगद, लूट/चोरी के सोने-चाँदी के आभूषण, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त 1-सुरेन्द्र के विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़, बदायूं, शिकोहाबाद, हाथरस, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग, अभियुक्त मोहित के विरुद्ध जनपद बदायूं, बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त सौदान के विरुद्ध जनपद बदायूं, बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना डिबाई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-सुरेन्द्र निवासी जमालपुर थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।
- 2-सौदान निवासी जमालपुर थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

- 3-मोहित निवासी रेलवे स्टेशन के पास थाना बहजोई जनपद सम्भल।
- 4-सनी निवासी गेसूपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 5-नीरज निवासी बडा बझेडा थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 6-अभियुक्ता।

बरामदगी

- 1-लूट/चोरी के 01 लाख 39 हजार 700 रुपये नगद।
- 2-लूट/चोरी के सोने-चाँदी के आभूषण।
- 3-03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।
- 4-घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना नंदग्राम

● 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 03 लाख 50 हजार रुपये कीमत के चोरी के सोने-चाँदी के आभूषण

- चोरी के माल बिक्री के 45 हजार रुपये नगद

● 02 मोबाइल फोन

- 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 28.11.2024 को थाना नंदग्राम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1-मोसीन उर्फ नदीम 2-सरफराज उर्फ फैज 3-विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख 50 हजार रुपये कीमत के चोरी के सोने-चाँदी के आभूषण, चोरी के माल बिक्री के 45 हजार रुपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.11.2024 को थाना नंदग्राम क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नंदग्राम पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नंदग्राम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—मोसीन उर्फ नदीम निवासी गली नं0—11 थाना कोतवाली नगर जनपद अमरोहा, हालपता खोडा थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद।
- 2—सरफराज उर्फ फैज निवासी ग्राम जनैटा थाना बनियाठेर जनपद संभल, हालपता खोडा थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद।
- 3—विकास निवासी ग्राम महाधो, सरधना जनपद मेरठ, हालपता गली नं0—3 गोरख पार्क सादरा थाना ज्योतिनगर जनपद पूर्वी दिल्ली।

बरामदगी

- 1—लगभग 03 लाख 50 हजार रुपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण
- 2—चोरी के माल बिक्री के 45 हजार रुपये नगद।
- 3—02 मोबाइल फोन।
- 4—01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना मसूरी

● 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल 01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा

● घटना में प्रयुक्त 01 कैंटर ट्रक आदि बरामद

दिनांक 28.11.2024 को थाना मसूरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डासना से मुरादनगर जाने वाले रास्ते से अभियुक्त सुरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल 01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 कैंटर ट्रक आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मसूरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुरेन्द्र निवासी ग्राम खिटावटा थाना कोसीकला जनपद मथुरा।

बरामदगी

1—लगभग 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 कुन्तल 01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा।

2—घटना में प्रयुक्त 01 कैंटर ट्रक आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना खड्डा

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 05 लाख रुपये कीमत के 55 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब
- 01 पिकअप वाहन बरामद

दिनांक: 28.11.2024 को थाना खड्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1—अक्षय कुमार 2—संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रुपये कीमत के 55 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 पिकअप वाहन बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध थाना खड्डा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अक्षय कुमार निवासी ग्राम मलार थाना पिल्लूखेड़ा जनपद जिन्द, हरियाणा।

2—संतोष कुमार निवासी मछौरा यादवपुर थाना फेकला जनपद दरभंगा, बिहार।

बरामदगी

1—लगभग 05 लाख रुपये कीमत के 55 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—01 पिकअप वाहन।

- जनपद मऊ/थाना मधुबन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना मधुबन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1-पिंटू उर्फ भूपेन्द्र 2-अखिलेश को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद हाथरस/थाना हाथरस जंक्शन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त ललित उर्फ लवली को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद अम्बेडकरनगर/थाना अलीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 36 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना अलीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/306 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अभिषेक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 36 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
